

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ ७(२)ग्रावि / ग्रुप-१/ २०१५

जयपुर, दिनांक:

11 MAY 2016

-संशोधन आदेश-

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11.03.2016 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर से विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिशाषी अभियन्ता श्री कारुलाल परमार का पदस्थापन अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, करौली के रिक्त पद पर किया गया था, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री कारुलाल परमार का पदस्थापन अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, प्रतापगढ़ में राज्य हित में तत्काल प्रभाव से किया जाता है। यह आदेश संक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

2/8/(7/5)/
(उच्चवल राठोड़)

संयुक्त शासन सचिव(पश्चासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
6. जिला कलक्टर, करौली एवं प्रतापगढ़।
7. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली एवं प्रतापगढ़।
9. संबंधित अधिकारी श्री कारुलाल परमार, अधिशाषी अभियन्ता।
10. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज. जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

2/10/15/1
संयुक्त शासन सचिव (पश्चासन)